INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (online)
ISSN 2348 - 9359 (Print)

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.IRJMSH.com
www.isarasolutions.com

Published by iSaRa Solutions

दलित नवजागरण और डॉ. अंबेडकर की पत्रकारिता

Dr. Brajesh Kumar
Department of History
DAV PG College, Bulandshahr

DAV Bypass Railway Road Bulandshahr, 203001 U.P.

अगर दलितों (बहुजन समाज) को अन्धेरे से उजाले में लाने का नाम बहुजन नवजागरण है, तो भारत में यह नवजागरण दलित समाज के लोगों ने किया था। इस जागरण में हिन्दू धर्म के पुनः उत्थान की कोई बात नहीं थी। अतः इस विशाल समुदाय का जन्म हिन्दू धर्म की वर्ण व्यवस्था की देन था, इसके अनुसार एक विशाल जनसंख्या को स्वतंत्रता और विकास से बिल्कुल अलग रखा गया इसमें सबसे महत्वपूर्ण शूद्र थे जिन्हें सबसे नीचे के स्थान पर रखा गया था। यह बहुजन समाज वर्तमान में भी हासिए पर खड़ा नजर आता है। क्योंकि यह आज भी दूसरों पर निर्भर है और आज भी लोगों की मानसिकता वही बनी हुई है जिसको बदलने की जरूरत है।

रामास्वामी पेरियार के अनुसार "अंबेडकर को न केवल उनकी उत्कृष्ट मेधा और बौद्धिक कौशल के कारण अत्यंत बुद्धिमान माना जाता है परन्तु इस कारण भी माना जाता है क्योंकि उनके विचारों और उनकी योग्यता का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया जा रहा है। बाकी सभी अपनी विद्वता का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिये करते आयें हैं।"[1] डॉ. अंबेडकर बौद्धकालीन बहुजन शब्द को उनकी प्रगति के मार्ग पर आगे बढाते हैं। इसके लिए उन्होंने दलित–बहुजन वैचारिकी का आंदोलनकारी रूप निर्मित किया। इसे दलित नवजागरण का स्वरूप प्रदान किया। मूकनायक के एक संपादकीय में डॉ. अंबेडकर टिप्पणी करते हैं, "इसलिए राष्ट्रीय दलों के लोगों से और साथ ही अपने पाठकों से इस समाचार पत्र को मदद करने की केसरी समाचार पत्र से प्रार्थना की है। हिन्दू धर्म के अंतर्गत व्यवस्था में समता का सिद्धांत लागू करना, यह इस समाचार पत्र का दूसरा महत्वपूर्ण तथा प्रशंसनीय उद्देश्य है, इस उद्देश्य को केसरी ने गुलदस्ते में क्यों बंद कर रखा है, इस बात पर आश्चर्य होता है। एक तो यह संभावना है कि स्वयं केसरी को यह उद्देश्य पसंद न हो अथवा राष्ट्रीय दलों के लोग तथा केसरी के पाठक इससे घबरा जाएंगे, इसलिए इसे गुलदस्ते में रखा होगा। इसके अलावा किसी अन्य वजह की संभावना नहीं है। समता के सिद्धांत से जिन्हें घृणा होती है या फिर वह जो उससे घबराते हैं उन्हें ब्रिटिश मजदूर वर्ग के द्वारा पिछली कांग्रेस को भेजे संदेश में मारा हुआ जूता लगा नहीं होगा, ऐसा लगता है, क्या यह बेशर्मी की बात नहीं है।"[2] भेदभाव की किसी भी तरह की व्यवस्था को डॉ. अम्बेडकर ने मानने से इनकार किया और अपने विचारों से उन पर तीक्ष्ण हमले किये। इन हमलों का आधार तार्किक और विवेकसम्मत था। वे समाज और राष्ट्र को अधिक मानवतावादी और समानतापूर्ण बनाना चाहते थे। "पददलितों की एकता स्थापित करने के अपने प्रयासों के अंतर्गत ही अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। उनका यह विश्वास था कि भारत में जाति ही वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इस पार्टी के जरिए वे पददलितों के अधिकारों पर जोर देना चाहते थे। आगे चलकर उन्होंने कई ऐसे संगठन और पार्टियां बनाई जिनका लक्ष्य दलितों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार दिलवाना था। अपनी पुस्तक 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' के संशोधित संस्करण में उन्होंने पाकिस्तान की मांग का विरोध करते

हुए अत्यंत दूरदर्शी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि धर्म पर आधारित मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण से हिंदू राज्य की राह प्रशस्त होगी, जो कि उनकी दृष्टि में भारत के दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगी।"[3] जाति–विनाश के इस लक्ष्य में उन्होंने पत्रकारिता को अपना माध्यम बनाया और समय–समय पर इस भेदभावपूर्ण और अमानवीय व्यवस्था का विरोध करते रहे। उनके लेखन से दलित समाज में नव–चेतना का निर्माण हुआ और वे भी सुखद भविष्य की कल्पना करने लगे। वे भारतीय समाज–व्यवस्था में बहिष्कृत लोगों को संबोधित करने के लिए बहिष्कृत भारत जैसा शब्द प्रयोग करते हैं। डॉ. अंबेडकर के संपादकीय बहिष्कृ त भारत में वह इसका उल्लेख करते है। "अस्पृश्यता की कल्पना हिन्दू धर्म में ही है, ऐसा भी नहीं है। यह बीमारी हिन्दू धर्म की तरह दूसरे धर्मों में भी दिखाई देती है। यहूदी धर्म की भांति वह दूसरे धर्म में भी दिखाई पड़ती है। यहूदी धर्म में बताया गया है कि प्रेत (शव) को स्पर्श करने से मनुष्य अपवित्र हो जाता है। उस धर्म में यज्ञ का मांस पवित्र व्यक्ति द्वारा खाने का चलन था। ऐसे पवित्र व्यक्ति फिर अपवित्र व्यक्ति को अछूत मानते थे। सुअर व रजस्वला स्त्री को अपवित्र बताया गया है। इतना ही नहीं, किसी कारण से यहूदी आदमी के शरीर से रक्तस्राव होने पर उसे अपवित्र मानना चाहिए, ऐसा यहूदी धर्म का आदेश है। पारसी धर्म में भी अस्पृश्यता दिखाई देती है। पारसी धर्मग्रंथ की दृष्टि से देखने पर कोई भी व्यक्ति निम्न तीन कारणों से ताबू (अछूत) होता है।

1. **मृतक को छूने पर**
2. **रजस्वला स्त्री को देखने पर**
3. **उक्त अछूतों का स्पर्श करने पर**

हिन्दू धर्म की तरह इन दोनों धर्मों में भी अस्पृश्यता की कल्पना है, तथापि हिन्दू धर्म में अछूत वर्ग का निर्माण हो गया है, किन्तु यहूदी तथा पारसी धर्म में वह निर्माण नहीं हो पाया है। हिन्दू धर्म में अस्पृश्यता त्रिकालिक है, जबकि अन्य धर्म में वह तात्कालिक है। उसी भांति अन्य धर्म में अस्पृश्यता रूपी बहिष्कार से मुक्त होने के लिए जैसा मार्ग रखा गया है, वैसा मार्ग हिन्दू धर्म में नहीं रखा है। यह प्रश्न चर्चा करने योग्य है तथा हमारा मानना है कि इस पर अवश्य चर्चा की जाय। हमने आज अस्पृश्यता निवारण के प्रयास पर विवेचन करने का निश्चय किया है। इस सम्बन्ध में हमें बस इतना ही कहना है कि अस्पृश्यता की कल्पना जिस प्रकार सब देशों तथा सब धर्मों में दिखाई देती है, उस प्रकार पीढ़ी–दर–पीढ़ी अछूत जाति भारत के अतिरिक्त और कहीं नहीं दिखाई देती है।[4] डॉ. अम्बेडकर ने तत्कालीन संचार माध्यमों के प्रयोग से अपनी वैचारिक दृष्टि को सामने रखने के ऐतिहासिक प्रयत्न किये। यद्यपि उनके सामने कठिनाइयां भी कम नहीं थी। एक वर्चस्ववादी समाज में अपना स्थान बनाना सरल नहीं था। डॉ. अंबेडकर के मीडिया या पत्रकारिता को लेकर विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उनके लेखन में अछूतों के प्रति मीडिया का दृष्टिकोण दिखाई देता है। अस्पृश्यों के जीवन और आन्दोलन में प्रेस की भूमिका और सीमाओं को रेखांकित करते हुए उन्होंने लिखा, "राज्य करने के उपरोक्त दोनों उद्देश्य परिस्थिति अनुरूप अलग–अलग जगह अलग–अलग तरह से क्रियान्वित होते हैं। जब राज्यव्यवस्था किसी एक ही विशिष्ट वर्ग के हित में काम करने लगती है, तब वह वर्ग अपनों का हो या पराए का हो, वहाँ संस्कृति से अधिक शासन की प्रधानता होती है, क्योंकि शांति भंग होने पर उनकी सत्ता के लिए खतरा पैदा हो जाता है। शांति आवश्यक है फिर भी शांति के नाम पर अत्याचार होना सहज है, क्योंकि शांति बनाए रखने के लिए किसी की स्वतंत्रता पर तो बंधन लगाना ही पड़ता है। व्यक्ति की स्वाधीनता पर कब रोक लगानी चाहिए और कब नहीं लगानी चाहिए? इस बात का फैसला करते वक्त स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क करना चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता को स्थिर रखते हुए उसका स्वच्छंदता में अंत नहीं होने देना चाहिए, यह बड़ा नाजुक काम है।"[5] अपनी समावेशी दृष्टि के कारण डॉ. अम्बेडकर तत्कालीन विचारकों और प्रबुद्ध लोगों के निशाने पर भी थे। वे वर्चस्ववादी वर्ग के लोग थे जो जाति–व्यवस्था में दलितों

की अमानवीय स्थिति से कोई सहानुभूति या सरोकार नहीं रखते थे। "यदि हम लोकतंत्र को एक रूप में नहीं, बल्कि सच में बनाए रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मेरे विचार में पहली चीज, जो हमें करनी चाहिए वह है कि अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जहां संवैधानिक तरीके खुले हैं, वहां इन असंवैधानिक तरीकों का औचित्य नहीं हो सकता। यह तरीके कुछ नहीं बल्कि अराजकता है और उन्हें शीघ्र ही छोड़ना हमारे लिए बेहतर होगा।"[6] लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका को बाबासाहेब से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। तभी 1937 के विधानसभा चुनाव में मराठी समाचार पत्र की भूमिका का हवाला देते हुए अंबेडकर ने सुझाव दिया, "28 जुलाई के अंक में 'केसरी' के संपादक ने 'धर्म का विचित्र खेल' शीर्षक से अपनी संकीर्ण मनोवृत्ति का ही प्रदर्शन किया है जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। जिस जाति के लोग बिना किसी के दुख या सोच के स्वयं की औलाद को उसी की मां के सामने हराम की औलाद कहें, उस समाज के लोगों के विरुद्ध अस्पृश्यों ने किसी गंदी भाषा का उपयोग किया, तो इसमें किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 'केसरी' के संपादक द्वारा दिए गए कुछ मुद्दों का हम उत्तर देना चाहेंगे। सांप्रदायिक निर्णय के अंतर्गत अस्पृश्यों के लिए कुल 71 सीटें सुरक्षित की गई थी जबकि इसके बदले में पूना समझौते के तहत 148 सीटें दी गई हैं, यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्याग है। फिर भी अस्पृश्य हिंदुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते, इसलिए अस्पृश्य नमकहराम हैं।"[7] लोकतंत्र में पत्रकारिता के इस महत्त्व को समझने पर ही वे राजनीति में भी सफल हस्तक्षेप कर सके और तत्कालीन राजनीति को भी प्रभावित करने में सफल रहे। राजनीति में वे अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति अटल थे। अपने सिद्धांतों पर न चल पाने की स्थिति में उन्होंने पद और रसूख का लोभ नहीं किया। "बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर ने 27 सितम्बर, 1951 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसके सम्बन्ध में बाबासाहेब ने एक वक्तव्य 10 अक्टूबर 1951 को जारी किया था। संसद के बाहर इस वक्तव्य को जारी करने का कारण यह था कि संसद में उन्हें यह वक्तव्य देने से रोका गया था क्योंकि वे वक्तव्य की प्रति अध्यक्ष को भाषण से पहले नहीं सौंपना चाहते थे। यह वक्तव्य उनके त्यागपत्र देने के कारणों के सम्बन्ध में था। इस वक्तव्य में संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें तीन वजहों से त्यागपत्र के सम्बन्ध में वक्तव्य देना पड़ रहा है। इनमें से एक वजह पत्रकारिता से सम्बंधित थी। उन्होंने कहा कि "पत्र में एक–दो बातों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मैं जनता के पाठकों के लिए ज्यादा जल्दी में लिख रहा हूं। मेरे विरुद्ध भारत के राष्ट्रीय समाचार–पत्रों में नासमझी एवं गालियां देने का जो कार्यक्रम चलाया गया है उसमें मुझे बहुत से बनावटी और बेबाक नमूने पढ़ने के लिए मिले। सत्य एवं अहिंसा के पुजारी कहलाने वाले इन लोगों का प्रेम सत्य के प्रति सच्चाई और नेकी का है, ऐसा मानना एक झूठा विश्वास है जिसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। बिना किसी तथ्य के ऊलूल–जलूल बातें राष्ट्रीय पत्रों में छापी गई हैं। जिन्हें पढ़कर मुझे निराशा के साथ ही आश्चर्य भी हो रहा है, लेकिन उन्ही में से एक संतोष एवं गौरव की बात यह है कि भारत की अस्पृश्य जनता कांग्रेस द्वारा किए जा रहे अस्पृश्यों के विरोध को सहन करने के लिए चुपचाप नहीं बैठी है।"[8] उस समय दूसरे पत्र–पत्रिकाओं ने भी डॉ. आंबेडकर की पत्रकारिता पर अपनी प्रतिक्रिया दी। 'बहिष्कृत भारत' को लेकर कई दूसरे गैर–दलित पत्रों ने अपनी प्रतिक्रिया प्रकाशित की थी। ऐसी ही एक प्रतिक्रिया के तौर पर कहा गया, "21 अगस्त के 'जन्मभूमि' नामक गुजराती दैनिक समाचार–पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ कि हिंदू धर्म का त्याग करने की घोषणा के कारण अछूत वर्ग चक्रव्यूह में फंस गया है और यह डर पैदा हो गया है कि यदि उन्होंने धर्मांतरण किया, तो उन्हें प्राप्त राजनीतिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। गुजराती समाचार पत्र के इस भ्रमित करने वाले जोरदार लेख से ऐसा भ्रम फैला कि डॉ. अंबेडकर को अपनी भूल का एहसास हो गया है, इसलिए वे घबरा गए हैं और आगामी चुनाव में वे स्वयं खड़े होने वाले नहीं हैं और वैसी ही सलाह वे अपने अनुयायियों को दे रहे हैं।"[9] पत्रकार के

रूप में डॉ. अम्बेडकर पत्रकारिता के आदर्शों पर भी समय–समय पर प्रकाश डालते रहते थे। वे भारतीय पत्रकारिता के पूर्वग्रहजनित होने को पहले ही भाँप गए थे। "इस संबंध में 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' के प्रतिनिधि से डॉ. अंबेडकर की भेंट वार्ता का समाचार, समाचार–पत्र के 24 अगस्त, 1936 के अंक में प्रकाशित हुआ। इस भेंटवार्ता में डॉ. अंबेडकर ने धर्मांतरण के संबंध में अपने विचार रखते हुए धर्मांतरण के कारण अस्पृश्यों को प्राप्त राजनीतिक अधिकारों पर कानूनी दृष्टि से क्या परिणाम हो सकते हैं, ऐसे तथ्यों पर सविस्तार प्रकाश डाला। जिन अखबारों ने अस्पृश्यों के लिए धमकी के रूप में यह समाचार प्रकाशित किया था कि यदि अस्पृश्यों ने धर्मांतरण किया, तो उनके राजनीतिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। उनको भी बाद में यह आभास हो गया कि अस्पृश्यों के संबंध में उनकी धारणा गलत है।"[10] वे भारतीय पत्रकारिता की वर्गीय चेतना और उसके वर्चस्ववादी स्वभाव को जान कर ही उस पर अपनी विवेकशील प्रतिक्रया देते थे। एक तरफ बाबासाहेब अंबेडकर बहुजन समाज के लिए अखबार की सख्त आवश्यकता महसूस कर रहे थे और दूसरी तरफ अखबार निकालने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी से निराश एवं चिंतित थे। उन्होंने अपनी व्यथा को इन शब्दों में प्रकट किया। "पाठकों की संख्या में वृद्धि की निराशाजनक स्थिति के कारण बहिष्कृत भारत को जो घाटा हो रहा है, उसके निवार्णार्थ दूसरी स्थाई योजना की आवश्यकता है। यह योजना हम आज के इस अंक में बहिष्कृत वर्ग के सामने रखते हैं। इस योजना के अंतर्गत बहिष्कृत भारत का स्वयं का छापाखाना होना चाहिए। इसके लिए चालीस हजार रुपयों का प्रबंध करना होगा। यह राशि देखने में बहुत बड़ी लगती है, किन्तु अस्पृश्य वर्ग की जनसंख्या की तुलना में यह कुछ नहीं है। दरअसल यही कहना पड़ेगा। अकेले मुंबई शहर में महार लोगों की एक लाख संख्या है। एक व्यक्ति ने एक रुपया देने का संकल्प किया तो एक लाख की निधि जमा हो सकती है। इसी तरह यदि समस्त अस्पृश्य जाति का समावेश किया गया, तो यह राशि दोगुनी जमा हो सकती है। शहर को छोड़ यदि गांव के लोगों की बात करें तो आज मुंबई प्रदेश में मराठी भाषी 10 जिले हैं। हर जिले में 10 तहसीलें हैं तथा प्रत्येक तहसील में सौ भी गांव होने पर एवं प्रत्येक गांव से दस रुपये की मदद मिलने पर फिर यह राशि एक लाख रुपये होती है, इन दस हजार गांवों में से यदि आधे गांवों ने भी सहायता की, तब भी 50000 की निधि हेतु कोई कठिनाई नहीं होगी।"[11] बावजूद इसके उन्होंने प्रयास किये और किसी तरह अपनी पत्रकारिता को आगे बढाने में सफल रहे। इस सफलता में उनके अथक प्रयासों का सुफल था। वे लिखते हैं, "अस्पृश्य वर्ग जागृत हो गया है, अतः अब उसे सामान्य स्वार्थ चाहिए या फिर समता चाहिए ? इन दोनों में से किसी एक के चयन करने का अब समय आ गया है। अतः अब उसने समता प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है। हमारा विश्वास है कि जागृत हुई अस्पृश्य जनता बाधा उत्पन्न करने वाले समस्त तत्वों को दूर करके वह अवश्य स्वार्थ त्याग करेगी। तब इतने शिखर तक पहुंचने वाली जनता को बहिष्कार का क्या भय होगा? जिन्होंने जान–बूझकर इस तपस्या को स्वीकार किया है उन्हें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। विघ्न संतोषी लोगों ने भय के घंटे की जो भयानक आवाज पैदा की है, उससे डरने का कोई कारण नहीं है।"[12] अम्बेडकर का पत्रकार रूप विस्तृत और गतिशील रहा है। आंदोलनकारी राजनीति में पत्रकारिता के महत्व को समझते हुए उन्होंने अपनी लेखन–प्रतिभा का बहुलांश पत्रकारिता में प्रयोग किया। उनकी प्रेरणाओं से ही पत्रकारिता का वह स्वरूप वर्तमान में भी सक्रिय है जिसमें समानता और न्याय की बातें प्रमुख हैं। "डॉ. अंबेडकर की पत्रकारिता का समय 1920 से 1956 तक का समय माना जाता है। उनके द्वारा प्रथम पत्रिका 'मूकनायक' थी, इसका प्रथम अंक 31 जनवरी, 1920 को प्रकाशित हुआ और अन्त में अम्बेडकर के प्रबुद्ध भारत का पहला अंक फरवरी 1956 को निकला था, इसके बीच में बहिष्कृत भारत का प्रथम अंक 3 अप्रैल 1927 को और 'समता' का पहला प्रकाशन 1928 में जनता 24 नवंबर 1930 को प्रकाशित हुआ था।"[13] 'मूकनायक' से शुरू होकर 'प्रबुद्ध भारत' तक की उनकी चिंतन यात्रा बहुत ज्यादा संघर्ष का प्रतीक है। वे प्रबुद्ध भारत में ही अपनी और अपने समाज की मुक्ति को देखते हैं। उनकी

पत्रकारिता में संघर्ष 'मूकनायक' में न बोलने वाले लोगों की आवाज बनकर और 'प्रबुद्ध भारत' के निर्माण के साथ खत्म होती है। 'प्रबुद्ध भारत' यानी एक नए भारत का निर्माण। गेल ओमवेट इसे नए राष्ट्र के निर्माण हेतु डॉ. अंबेडकर का स्वप्न कहती हैं। अंबेडकर ने इसके लिए बड़ा श्रम किया और समय–समय पर अपने पत्रों के पाठकों से मदद की गुहार भी लगाते रहे। एक संपादकीय में वे लिखते हैं, "'जनता' समाचार–पत्र के संरक्षकों से मुझे इतना ही कहना है कि किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए समाचार–पत्र आवश्यक होता है। अपने स्वावलंबन के भावी अधिकारों के आंदोलन के लिए समाचार–पत्र की समृद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। आपको 'जनता' समाचार–पत्र की वर्तमान में कितनी आवश्यकता है, इस बात की कीमत मालूम नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में वह समय आएगा जब 'जनता' समाचार–पत्र आवश्यक हो जाएगा, इसलिए मेरे भारत वापसी आने तक 'जनता' समाचार–पत्र के लिए वार्षिक चंदा देने वाले ग्राहक दुगुने हो जाने चाहिए।"[14] अंबेडकर की बुनियादी लड़ाई भले ही जाति–व्यवस्था के विरुद्ध थी परंतु राष्ट्र–निर्माण उनकी दृष्टि से अलग नहीं था। वे राष्ट्रवाद को दृष्टि में रखे हुये थे और एक आधुनिक राष्ट्र की परिकल्पना उनके विचारों में झलकती है। "अपने समाज की स्थिति देखो। अपने समाज के समान दमित, परिस्थितिवश लाचार एवं पीड़ित दूसरा कोई समाज या देश भी नहीं होगा। अपनी इस वर्तमान परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए और अपनी स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए लिए 'जनता' समाचार–पत्र की आवश्यकता है। हमें अपने और अधिकारों के लिए लड़ना है। वर्तमान आंदोलन तो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। इसके आगे जो आंदोलन होना है उसका धैर्य के साथ मुकाबला करने के लिए एवं अपने समाचार–पत्र को जिंदा रखने के लिए अपनेपन से सहायता देने के बगैर दूसरा कोई रास्ता बाकी नहीं है। इस बात का एहसास समाज के प्रत्येक आदमी को कराकर उसे प्रसार के लिए सहायता करने के लिए कहना चाहिए।"[15] एक अच्छे और समानतापूर्ण राष्ट्र–निर्माण के लिए यह अनिवार्य था कि सामाजिक विभेदों का अंत हो। अंबेडकर की पत्रकारिता में भी यह वैचारिकी देखी जाती है।

सन्दर्भ सूची :

1. ई वी रामास्वामी पेरियार, एक नास्तिक का भविष्य लोक, अनुवादक संपादक ओम प्रकाश कश्यप, अगोरा प्रकाशन वाराणसी, संस्करण 2021, पृष्ठ– 121
2. वासनिक विनय कुमार, अनुवादक, मूकनायक, डॉ. बी. आर. अंबेडकर, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण 2019, पृष्ठ– 49
3. अंबेडकर और हिंदुत्व की राजनीति, राम पुनियानी, फारोस मीडिया एंड पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, संस्करण 2020, पृष्ठ– 9
4. गजभिए प्रभाकर (अनु.),बहिष्कृत भारत, डॉ. बी. आर. अंबेडकर, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण 2017, पृष्ठ– 51
5. वासनिक विनय कुमार, अनुवादक, मूकनायक, डॉ. बी. आर. अंबेडकर, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण 2019, पृष्ठ– 42
6. उद्धृत, डॉ. अंबेडकर और राष्ट्रवाद, संयोजन– बसंत कुमार, सत्साहित्य प्रकाशन वाराणसी, संस्करण 2022, पृष्ठ– 20
7. वासनिक विनय कुमार, अनुवादक, जनता, डॉ. बी. आर. अंबेडकर, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण 2019, पृष्ठ– 127
8. वही, पृष्ठ– 72
9. वही, पृष्ठ– 66

10. वासनिक विनय कुमार, अनुवादक, जनता, डॉ. बी. आर. अंबेडकर, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण 2019, पृष्ठ– 66

11. गजभिए प्रभाकर (अनु.), बहिष्कृत भारत, डॉ. बी. आर. अंबेडकर, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण 2017, पृष्ठ– 149

12. वही, पृष्ठ– 136

13. ओमवेट गेल, अंबेडकर प्रबुद्ध भारत की ओर, पेंगुइन बुक्स इंडिया नई दिल्ली, संस्करण 2005, पृष्ठ– 149

14. वासनिक विनय कुमार, अनुवादक, जनता, डॉ. बी. आर. अंबेडकर, सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण 201, पृष्ठ– 101, 102

15. वही, पृष्ठ– 104–105

ISARA INSTITUTE OF MANAGEMENT & PROFESSIONAL STUDIES

WWW.IIMPS.IN

EARN YOUR

MBA

Accreditation & Ranking

UGC / NCTE Approved.

INFO@IIMPS.IN

011-41005174

RESEARCH GATEWAY

STOP PLAGIARISM

1 Submit your content in Word File.

2 Get report in 48 hrs.

3 *Missing content or references will be fixed.

4 Citation for your work.

5 Get accurate user friendly report.

researchgateway.in | info@researchgateway.in

+91-9205579779

AROGYAM ONLINE

Arogyam Ayurveda

Holistic Healing through herbs

100% NATURAL

PARIVARTAN PSYCHOLOGY CENTER

COLOR PSYCHOLOGY : HOW COLOR AFFECT YOUR CHILD

BLUE — Calms your Child's Mind & Body

YELLOW — Promotes Concentration, Stimulates the Memory

PINK — Evokes Empathy, makes your Child Calm

RED — Excites and energizes your Child's body

GREEN — Improves Reading speed and Comprehension

www.parivartan4u.com

Confuse about your children's future?

भारतीय भाषा, शिक्षा, साहित्य एवं शोध

ISSN 2321 – 9726

WWW.BHARTIYASHODH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE & TECHNOLOGY

ISSN – 2250 – 1959 (0) 2348 – 9367 (P)

WWW.IRJMST.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF COMMERCE, ARTS AND SCIENCE

ISSN 2319 – 9202

WWW.CASIRJ.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT SOCIOLOGY & HUMANITIES

ISSN 2277 – 9809 (0) 2348 - 9359 (P)

WWW.IRJMSH.COM

INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF SCIENCE ENGINEERING AND TECHNOLOGY

ISSN 2454-3195 (online)

WWW.RJSET.COM

INTEGRATED RESEARCH JOURNAL OF MANAGEMENT, SCIENCE AND INNOVATION

ISSN 2582-5445

WWW.IRJMSI.COM

JOURNAL OF LEGAL STUDIES,POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

WWW.JLPER.COM